न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 110/2020(2020/00201)

अनवान : —

हरीसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।

वादी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री श्रवण सहारण वादी
पेरोकार राज प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा पचारवाली के खाता सं 73/70 के खसरा सं 111, 125, 161, 170 की कुल खसरा 4 की कुल 3.112 हैक्टेयर बारानी मुश्तर्का खाता में वादी हरीसिंह के नाम 123/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार ग्राम पचारवाली के खाता संख्या 98/92 के खसरा नम्बर 90, 92, 220, 249 की कुल खसरा 4 की कुल 13.988 हैक्टेयर बारानी मुश्तर्का खाता में वादी हरीसिंह के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 182/172 के खसरा नम्बर 249, 250 कुल खसरा 2 की कुल 4.856 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में वादी हरीसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 591/556 के खसरा नम्बर 165, 215, 412, 471 कुल खसरा 4 की कुल 20.689 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता वादी के नाम 266.5/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

रोही मौजा ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 591/566 में वादी हरीसिंह का नाम सिंगा पुत्र हेतराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हरिसिंह पुत्र हेतराम है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज में हरिसिंह पुत्र हेतराम के नाम से ही है। वादी [illegible] दस्तावेजों में नाम हरिसिंह पुत्र हेतराम ही दर्ज है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न [illegible] रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:05:58 IST
Reason: Self Attested

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी [illegible] पर विपरीत असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 591/556 में अपना नाम सिंगा पुत्र हेतराम की जगह हरिसिंह पुत्र हेतराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट पेश हुई, जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा रोही मौजा पचारवाली के खाता सं 73/70 व पचारवाली के खाता संख्या 98/92 में व रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 182/172 में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हरिसिंह पुत्र हेतराम दर्ज है लेकिन रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 591/556 में वादी का नाम सींगा पुत्र हेतराम दर्ज है उसमे भी नाम संशोधन किया जाकर हरीसिंह पुत्र हेतराम नाम दर्ज किया जावें।

वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए सभी दस्तावेज पेश किये जो हरिसिंह पुत्र हेतराम नाम से ही है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 591/556 की कुल 20.689 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में वादी का नाम सिंगा पुत्र हेतराम नाम दर्ज है। उसमें वादी का सही नाम **सिंगा पुत्र हेतराम की जगह हरिसिंह पुत्र हेतराम** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ